

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश /२२२९ /2019

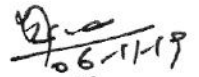
दिनांक : 06.11.2019

श्री अजय सिंह (RJ0125), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 02.09.2019 से 04.09.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



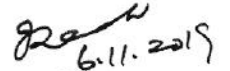
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/12/1993/10467

दिनांक : 6.11.2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 83 दिनांक 05.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अजय सिंह (RJ0125), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ ।



सहायक रजिस्ट्रार